तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

राजेश कुमार बनाम सरपंच ग्राम पंचायत

अपील विरुद्ध नामान्तरण मु.नं. – 8/24

4.03.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील अपीलार्थी एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय / आदेश पत्रावली दिनांक 28.03.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

28.03.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। वास्ते निर्णय / आदेश पत्रावली दिनांक 02.04.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

02.04.2025

पत्रावली आज वास्ते निर्णय / आदेश हेतु पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। वकील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार की जाकर रेस्पोंडेण्ट ग्राम पंचायत थोई द्वारा नामान्तकरण संख्या 1949 बाबत पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 25.07.2024 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को नामान्तकरण अपीलान्ट के हक में दर्ज कर तस्दीक किये जाने के आदेश दिये जाते है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:50:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
05 / 2024	2024 / 276	23.08.2024	02.04.2025

उनवान प्रकरण

राजेश कुमार पुत्र गुल्लाराम आयु 30 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम सीलपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज0)

——प्रार्थी / अपीलान्ट

बनाम्

1—सरपंच ग्राम पंचायत थोई, पं. सं. अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :—

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 प्रार्थी / अपीलार्थी अभिभाषक।

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1949 दिनांक 25.07.2024 निर्णय द्वारा सरंपच ग्राम पंचायत थोई पंचायत समिति अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—: निर्णय :—

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:50:46 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने एक अपील नामान्तकरण खिलाफ रेस्पोडेण्ट के इस आशय से प्रस्तुत की है कि तन् ग्राम थोई

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना (राज0) के भूमि खसरा नम्बर 2850/751 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 743 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 744 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 748 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 749 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 750, खसरा नम्बर 822 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 823 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 824 रकबा 0.04 हैक्टर कुल किता 11 रकबा 0.64 हैक्टर का 1/2 खातेदार दीपक कुमार पुत्र कमलाप्रसाद जाति ब्राह्मण का हिस्सा 1/2 व खातेदार बंसत कुमार पुत्र कमलाप्रसाद जाति ब्राह्मण का तथा खसरा नम्बर 756 रकबा 0.10 हैक्टर मे से हिस्सा 1/2 खातेदार दीपक कुमार का अर्थात 0.05 हैक्टर भूमि इस प्रकार कुल 0.69 हैक्टर भूमि का अपीलान्ट ने उपरोक्त दर्ज खातेदारान का दर्ज हिस्सा जरिए मुख्त्यार देशराज यादव पुत्र नाथूलाल जाति अहीर निवासी ढाणी रायसर तन् कांवट जिला सीकर (राज0) से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 06.05.2024 को खरीद कर उपपंजियक कार्यालय अजीतगढ़ के यहां विक्रय लेख विधिपूर्ण तरीके से पंजिबद्ध करवाकर अपीलान्ट अपनी खरीदशुदा भूमि पर वरवक्त क्रय लेख के समय से अपनी खरीदशुदा भूमि पर पूर्णतया काबिज काश्त चला आ रहा हैं। पटवार हल्का थोई द्वारा विक्रय लेख अनुसार अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण दर्ज कर उक्त नामान्तकरण संख्या 1949 को रेस्पोडेन्ट के पास नामान्तकरण को स्वीकृत हेतु पेश किया जिसे रेस्पोडेन्ट ने बिना कोई जांच किये ही केवल मात्र अपीलान्ट से व्यक्तिगत द्वेषतावश अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर केवल मात्र अपने पद का दुरूपयोग करते हुये केवल मात्र अपीलान्ट से द्वेषता व व्यक्तिगत रंजिश निकालने की बदनियति स्वरूप उक्त नामान्तकरण को पंचायत मे दर्ज प्रस्ताव संख्या 5 का हवाला देकर अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर अवैधानिक तरीके से अपीलान्ट की खरीदशुदा व कब्जेशुदा भूमि का नामान्तकरण खारिज कर दिया गया हैं जिसके विरुद्ध अपील निम्न लिखित आधारो पर प्रस्तुत हैं :-

यह कि रेस्पोडेन्ट द्वारा आक्षेपित नामान्तकरण को खारिज करने का कोई स्पष्ट कारण दर्ज नही किया गया हैं केवल पंचायत के प्रस्तावं संख्या 5 का हवाला देकर उक्त नामान्तकरण खारिज किया गया हैं। जो कतई विधि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:50:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

विरुद्ध है। इस कारण उक्त नामान्तकरण को खारिज किये जाने का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 5 को देखने से यह स्पष्ट रूप से दर्शित हो रहा है कि पंचायत प्रस्ताव मे दर्ज हैं, कोरम द्वारा विचार विमर्श किया जाकर कोरम द्वारा नामान्तकरण को सर्वसम्मति से खारिज किया गया। उक्त प्रस्ताव मे दर्ज भाषाशैली को देखने मात्र से यह स्पष्ट दर्शित हो रहा हैं कि ग्राम पंचायत की कोरम के द्वारा भी नामान्तकरण को खारिज करने बाबत् कोई कारण दर्ज नही किया गया हैं। इस कारण भी नामान्तकरण भी खारिज किये जाने का आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं। रेसपोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट की खरीदशुदा व कब्जेशुदा भूमि का नामान्तकरण को खारिज करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना या सुनवाई का अवसर भी अपीलान्ट को प्रदान नही किया गया हैं। अपीलान्ट को बिना सुनवाई किये या सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये ही अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण को खारिज किये जाने का आदेश कतई विधि विरूद्व प्रार्थी/अपीलान्ट के विधिक अधिकारो के साथ घोर कुठाराघात किये जाने से भी रेसपोडेन्ट द्वारा नामान्तकरण को खारिज किये जाने का आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं। रेसपोडेन्ट द्वारा केवल मात्र अपने पद का दुरूपयोग कर अपीलान्ट के साथ घोर अन्याय किये जाने से उक्त नामान्तकरण को खारिज किये जाने का आदेश अपास्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर सम्बंध ग्राम पंचायत थोई पंचायत समिति अजीतगढ़ जिला सीकर (राज0) द्वारा निर्णित नामान्तकरण संख्या 1949 दिनांक 25.07.2024 द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाकर अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण विक्रय लेख दिनांक 06.05.2024 के अनुसार ग्राम थोई पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के भूमि खसरा नम्बर 2850/751 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 743 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 744 रकबा [illegible] हैक्टर, खसरा नम्बर 748 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 749 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 750 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 820 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 821 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 822 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 823 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 824 रकबा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:50:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

0.01 हैक्टर कुल किता 11 रकबा 0.64 हैक्टर का 1/2 खातेदार दीपक कुमार पुत्र कमलाप्रसाद जाति ब्राह्मण का हिस्सा 1/2 व खातेदार बसन्त कुमार पुत्र कमलाप्रसाद जाति ब्राह्मण का तथा खसरा नम्बर 756 रकबा 0.10 हैक्टर में से हिस्सा 1/2 खातेदार दीपक कुमार का अर्थात 0.05 हैक्टर भूमि इस प्रकार कुल 0.69 हैक्टर भूमि का अपीलान्ट के हक में दर्ज कर नामान्तकरण को स्वीकृत करने का आदेश भूमिधारी तहसीलदार को प्रदान किये जाने का निवेदन अपील नामान्तकरण में किया है।

इस पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण तरीके से समन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। रेस्पोडेण्ट की तामील जरिए रजिस्टर्ड डाक से होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील अपीलार्थी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते। अतः साक्ष्य अपीलार्थी बन्द की जाती है। प्रकरण में वकील अपीलान्ट ने रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से प्रस्तुत अपील नामान्तकरण में बहस सुनी जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

जिस पर हमनें वकील अपीलार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस पर गंभीर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड नामान्तकरण संख्या 1949, सरपंच ग्राम पंचायत थोई की बैठक दिनांक 25.07.2024 के प्रस्ताव संख्या 05 की नकल, रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांकित 06.05.2024 की फोटोप्रति, जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 व आधार कार्ड की फोटोप्रति इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन स्पष्ट है कि प्रकरण में अंकित वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी खातेदार दीपक कुमार पुत्र कमलाप्रसाद व बसन्तकुमार पुत्र कमला प्रसाद जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार के नाम [illegible] खातेदारी मुताबिक जमाबन्दी अनुसार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट [illegible] दीपक कुमार पुत्र कमलाप्रसाद व बसन्तकुमार पुत्र कमला प्रसाद जाति ब्राह्मण के द्वारा अपने 1/2 –

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:50:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

1/2 हिस्से का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख के द्वारा दिनांक 06.05.2024 को किये जाने पर सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा केता राजेश कुमार पुत्र गुल्लाराम जाति जाट निवासी सीलपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर के नाम से नामान्तकरण भरा जाकर सम्बन्धित ग्राम पंचायत थोई में पेश किया जाना प्रकट होता है। जिस पर नामान्तकरण संख्या 1949 दिनांक 25.07.2024 दर्ज होकर ग्राम पंचायत थोई ने प्रस्ताव संख्या 05 के द्वारा कोरम द्वारा विचार विमर्श पश्चात् नामान्तकरण को सर्वसम्मति से खारिज किया जाना प्रमाणित होता है। ग्राम पंचायत थोई ने अपने प्रस्ताव में कहीं भी यह नहीं लिखा कि कोरम द्वारा किस वजह से सर्वसम्मति से उक्त नामान्तकरण को खारिज किया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत थोई द्वारा अपने प्रस्ताव में स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया जाना प्रकट होता है। जिसके आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत थोई द्वारा बिना अपीलार्थी को सुने सीधे ही निर्णय दिनांक 25.07.2024 के द्वारा नामान्तकरण खारिज किया जाना प्रकट होता है जबकि प्रार्थी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख के आधार पर नामान्तकरण हेतु आया है।

अतः ऐसी स्थिति में अपीलान्ट केता राजेश कुमार पुत्र गुल्लाराम जाति जाट निवासी सीलपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर के द्वारा अपने पक्ष में करवाये गये खरीदशुदा भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 06.05.2024 का नामान्तकरण अपीलान्ट के हक में दर्ज कर नामान्तकरण को स्वीकृत किये जाने का आदेश भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दिया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को स्वीकार की जाकर रेस्पोन्डेन्ट ग्राम पंचायत थोई द्वारा नामान्तकरण संख्या–1949 बाबत पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 25–07–2024 को अपास्त फरमाया जाकर तन ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2850/751 रकबा 0.14 है0, खसरा नम्बर 743 रकबा 0.06

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:30:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हैक्टर, खसरा नम्बर 744 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 748 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 749 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 750 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 820 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 821 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 822 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 823 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 824 रकबा 0.04 हैक्टर कुल किता 11 रकबा 0.64 हैक्टर का 1/2 खातेदार दीपक कुमार पुत्र कमलाप्रसाद जाति ब्राह्मण का हिस्सा 1/2 व खातेदार बंसत कुमार पुत्र कमलाप्रसाद जाति ब्राह्मण का तथा खसरा नम्बर 756 रकबा 0.10 हैक्टर मे से हिस्सा 1/2 खातेदार दीपक कुमार का अर्थात 0.05 हैक्टर भूमि इस प्रकार कुल 0.69 हैक्टर भूमि का नामान्तकरण अपीलान्ट के हक में दर्ज कर तस्दीक किये जाने का आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दिया जाता है। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

02/4/25

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:50:46 IST
Reason: SelfAttested